न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या – 58/2024
दायर दिनांक – 09.04.2024

उनवान

1. श्रीमी पत्नी महावीर जाति मीना निवासी सहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीया

बनाम

1. नेतराम पुत्र कैलाश जाति मीना निवासी सहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. फोरन्ती पत्नी नेतराम जाति मीना निवासी सहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3. तहसीलदार तहसील अलीगढ़ जिला टोंक (राज0)

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह हाड़ा उपस्थित।
2. प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराज सिंह नरूका उपस्थित।
3. प्रतिपक्षी संख्या 3 तहसीलदार अलीगढ की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 20.01.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 11 खसरा संख्या 913 रकबा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 917 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ़ जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 11 में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 10 में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 187 में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया व सहखातेदारान ने वादग्रस्त आराजीयात का मौखिक विभाजन कर रखा है तथा प्रार्थीया व सहखातेदारान अपने–अपने हिस्से पर बतौर मालिक व स्वामी काबिजकाश्त चले आ रहे है तथा राज्य सरकार को लगान जमा करवाते आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात से दूर का भी कोई लेना देना या सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रतिपक्षीगण बदमाश किस्म का चालाक व्यक्ति है, जो फर्जी महिला को खड़ी करते हुए वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान के जरिये खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई व अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण 1 व 2 द्वारा अंजान व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजीयात पर लाकर भूमि की नाप–चोंप करने लगे, जिसका प्रार्थीया ने उलाहना दिया तो प्रतिपक्षीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि वह प्रार्थीया के हिस्से को रहन, बेचान कर जबरन कब्जा कर लेंगे, इस कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व काबिज काश्त की आराजी भूमि खसरा संख्या 913 रकबा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकबा 0.76 है0,

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

खसरा संख्या 917 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही कब्जा करने का प्रयास करे, न ही रहन, बेचान या हस्तानान्तरण आदि करे, न तो स्वंय करें, न ही अन्य पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराज सिंह नरूका द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिपक्षी संख्या 1 की माता व प्रतिपक्षी संख्या 2 की सास फोरन्ती पत्नी कैलाश के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है, जिसमें प्रार्थीया व प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती का बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। वादीया चालाक व बदमाश किस्म की महिला है, जिसने माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से जानबूझकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मिथ्या कथन अंकित करते हुए वाद पेश किया गया है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती वृद्ध व बीमार महिला है तथा उक्त आराजी की देखरेख व सार सम्भाल इत्यादि प्रतिपक्षीगण द्वारा ही की जाती रही है जिसे छिपाते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूध वाद पेश किया गया है। प्रार्थीया प्रतिपक्षीगण को किसी भी प्रकार से पावन्द करवाने की अधिकारिणी नहीं है यदि प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया गया तो इसकी आड में प्रार्थीया जबरन प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती पत्नी कैलाश की खातेदारी जमीन पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर लेगी जिससे प्रतिपक्षीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, उन्हें बडी हकतल्फी होगी। प्रार्थीया का उक्त केस प्राईमाफैसाई तोर पर ही साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में तथा अपूरणिय क्षति प्रतिपक्षीगण को अधिक होगी।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 24.09.2024 को पेश हुयी। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह हाडा उपस्थित। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराज सिंह नरूका उपस्थित। दौराने बहस प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी से प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का दूर का भी कोई लेना देना या सम्बन्ध नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 11 में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 10 में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 187 में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया व सहखातेदारान ने वादग्रस्त आराजीयात का मौखिक विभाजन कर रखा है तथा प्रार्थीया व सहखातेदारान अपने–अपने हिस्से पर बतौर मालिक व स्वामी काबिजकाश्त चले आ रहे है तथा राज्य सरकार को लगान जमा करवाते आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात से दूर का भी कोई लेना देना या सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रतिपक्षीगण बदमाश किस्म का चालाक व्यक्ति है, जो फर्जी महिला को खडी करते हुए वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान के जरिये खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई व अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण 1 व 2 द्वारा अंजान व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजीयात पर लाकर भूमि की नाप–चोंप करने लगे, जिसका प्रार्थीया ने उलाहना दिया तो प्रतिपक्षीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि वह प्रार्थीया के हिस्से को रहन, बेचान कर जबरन कब्जा कर लेंगें। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व सहखातेदार फोरन्ती पत्नी कैलाश द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 63 पृष्ठ संख्या 26 के क्रम संख्या 534 पर पंजीकृत क्रय शुदा आराजी भूमि है जिसका नामान्तरकरण संख्या 879 दिनांक 20.08.2014 द्वारा प्रार्थीया व प्रार्थीया की सहखातेदार फोरन्ती पत्नी कैलाश पत्नीगण सहादतनगर के नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थीया की सह खातेदार फोरन्ती पत्नी कैलाश फौत हो चुकी है। प्रार्थीया की सह खातेदार फोरन्ती पत्नी कैलाश को दो नामों से

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

जाना जाता था जिसे कमला के नाम से भी जाना जाता था। प्रतिपक्षी संख्या 1 नेतराम पुत्र कैलाश फोरन्ती पत्नी कैलाश का पुत्र नहीं होकर जानकी पत्नी कैलाश का पुत्र है जो नाता प्रथा(पुनर्विवाह) द्वारा नाथू मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के साथ रहती है। फोरन्ती पत्नी कैलाश प्रतिपक्षी संख्या 1 नेतराम की वास्तविक माता नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 नेतराम फोरन्ती का पुत्र नहीं होकर जानकी का पुत्र है जो वर्तमान में नाता प्रथा(पुनर्विवाह) द्वारा नाथू मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के साथ रहती है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 ने मिलकर प्रार्थीया की सहखातेदार फोरन्ती जिसे कमला के नाम से जाना जाता है जो दिनांक 26.10.2021 को फोत हो चुकी है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 ने मिलकर अपनी वास्तविक माता जानकी जो अपने वर्तमान पति नाथू मीना निवासी रामसिंहपुरा की पुर्व पत्नी तुलसा के नाम से ही पहचानी जाती है के फोरन्ती पत्नी कैलाश के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी जमीन को बैचान करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जबकि फोरन्ती पत्नी कैलाश फोत चुकी है। इसके उपरान्त भी प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी वास्तविक माता जानकी जिसे ससुराल में तुलसा पत्नी नाथू के नाम से पहचाना जाता है के फोरन्ती पत्नी कैलाश के नाम से जाली दस्तावेज तैयार कर उक्त वर्णित आराजीयात को बैचान करने व खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का मालिकाना स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थीया की उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोह बन्द एवं बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा लवरन लट्ठ के बल पर प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे ताफैसला मूलवाद उपर्युक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे, ना ही काश्त में बाधा डाले, ना ही रहन/बैचान करे, न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी तर्कपूर्ण बहस में कथन किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिपक्षी संख्या 1 की माता व प्रतिपक्षी संख्या 2 की सास फोरन्ती पत्नी कैलाश के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है, जिसमें प्रार्थीया व प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती का बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। वादीया चालाक व बदमाश किस्म की महिला है, जिसने माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से जानबूझकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मिथ्या कथन अंकित करते हुए वाद पेश किया गया है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती वृद्ध व बीमार महिला है तथा उक्त आराजी की देखरेख व सार सम्भाल इत्यादि प्रतिपक्षीगण द्वारा ही की जाती रही है जिसे छिपाते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूध वाद पेश किया गया है। प्रार्थीया प्रतिपक्षीगण को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने की अधिकारिणी नहीं है यदि प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो इसकी आड में प्रार्थीया जवरन प्रतिपक्षी नम्बर 1 की माता व प्रतिपक्षी नम्बर 2 की सास फोरन्ती पत्नी कैलाश की खातेदारी जमीन पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर लेगी जिससे प्रतिपक्षीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, उन्हें बडी हकतल्फी होगी। प्रार्थीया का उक्त केस प्राईमाफैसाई तोर पर ही सावित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में तथा अपूरणिय क्षति प्रतिपक्षीगण को अधिक होगी।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि आराजी भूमि खाता संख्या 11 खसरा संख्या 913 रकबा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 917 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ़ जिला टोंक प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि है। प्रार्थीया के विद्वान

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कमला देवी उर्फ फोरन्ती देवी पत्नी कैलाश चन्द मीना निवासी सहादतनगर का परिचय पत्र एवं ग्राम पंचायत बालीथल के सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कमला देवी पत्नी कैलाश निवासी सहादतनगर एवं फोरन्ती देवी पत्नी कैलाश निवासी सहादतनगर एक ही व्यक्ति है। प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस उक्त आराजी की नामान्तरकरण की सत्यप्रति, पटवारी हल्का सहादतनगर की रिपोर्ट की सत्यप्रति, मतदाता सूची पंचायत सर्किल बालीथल ग्राम सहादतनगर की प्रमाणित प्रति, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली का प्रमाण पत्र, वाद संख्या 11/2024 उनवान फोरन्ती बनाम औमी की सत्यप्रति, कमला पत्नी कैलाश का मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 08108001000000200670/2021 जारी दिनांक 15.11.2021, फोरन्ती पत्नी कैलाश निवासी सहादतनगर का मूल निवास प्रमाण पत्र, फोरन्ती पुत्री बद्री लाल मीना निवासी सहादतनगर का जाति प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय में न्यायालय द्वारा तीन बिन्दुओं कमशः–प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। प्रथम बिन्दू प्रथमदृष्टया प्रकरण से सम्बन्धित है चूंकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवंत 2074–77 खाता संख्या 11 किता 3 कुल रकवा 1.53 है0, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 10 किता 4 कुल रकवा 0.75 है0 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकवा 0.07 है किस्म गै0मु0 चाह वाके ग्राम सहादतनगर पटवार मण्डल सहादतनगर तहसील अलीगढ़ जिला टोंक का अवलोकन से प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि होना सिद्ध होती है जिसमे प्रार्थीया का 1/2 हिस्से की खातेदार है। अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा का संतुलन बिन्दू के अन्तर्गत यह कहा जा सकता है कि प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 11 खसरा संख्या 913 रकवा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकवा 0.76 है0, खसरा संख्या 917 रकवा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकवा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकवा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकवा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकवा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकवा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ जिला टोंक प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि है जिसमे प्रार्थीया अपने 1/2 हिस्से की खातेदार है। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थीया द्वारा ही किया जा रहा है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना–देना व सम्बन्ध नहीं है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल प्रतीत होता है। अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू के अन्तर्गत यह कहा जाना न्यायोचित है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 11 खसरा संख्या 913 रकवा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकवा 0.76 है0, खसरा संख्या 917 रकवा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकवा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकवा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकवा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकवा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकवा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ़ जिला टोंक में यदि अप्रार्थीगण को मजाहमत करने से नही रोका गया तो वह प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करेंगे जिससे प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीया प्रश्नगत आराजी की संयुक्त खातेदार है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा निहित है एवं उसकी खातेदारी में स्थित प्रश्नगत भूमि से अप्रार्थीगण को कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। किसी भी सद्भावी खातेदार को यह विधिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने खातेदारी में स्थित भूमि का उपयोग उपभोग कर सके यदि कोई भी दीगर व्यक्ति उसके इस प्रकार के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में स्थित कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

आराजी खाता संख्या 11 खसरा संख्या 913 रकबा 0.49 है0, खसरा संख्या 915 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 917 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 खाता संख्या 10 खसरा संख्या 911 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 912 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 914 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 916 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 खाता संख्या 187 खसरा संख्या 918 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तहसील अलीगढ़ जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत नहीं करे एवं प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला-टोंक

शत्रुघ्न सिंह गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

CamScanner